

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/क0ले0प्र0/अलेसे-III/ 6560

दिनांक :- 11.1.2021

समस्त कोषाधिकारी,
.....

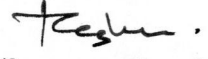
विषय:- 07 कनिष्ठ लेखाकारों को 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण ह.च.मा. रीपा के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रदान किया जाता है एवं 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण कनिष्ठ लेखाकार के पदस्थापित जिले के कोषालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

निम्नानुसार 07 कनिष्ठ लेखाकारों को कोषालय द्वारा आयोजित किए जाने वाला 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री)	मेरिट नं.	लिंक नं.	वर्तमान कार्यालय
1	संजय लाल बैरवा	87/2011	9792	उप कोषाधिकारी, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर।
2	अमरीक सिंह	88/2011	9795	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर।
3	बरदी चन्द ऐरवाल	91/2011	9794	कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
4	वीरी सिंह	92/2011	9791	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर।
5	धर्मेन्द्र गुप्ता	29A/2011		अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
6	बिरेन्द्र सिंह	DGS	9802	उप कोषाधिकारी, बहरोड़, अलवर।
7	चम्पालाल	DGS	-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (मनरेगा), बाड़मेर।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को कोषालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले 02 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित करें एवं इसके अतिरिक्त अन्य कनिष्ठ लेखाकार यदि 02 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण से वंचित हो तो उन्हें भी उक्त प्रशिक्षण प्रदान कर निदेशालय को सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/क0ले0प्र0/अलेसे-III/ 6560

दिनांक :- 11.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आपके कार्यालय(यदि पदस्थापन कार्यालय में परिवर्तन हो तो वर्तमान कार्यालय) में कार्यरत क.लेखाकार को कार्यमुक्त करें।
2. नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त 02 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण से वंचित कनिष्ठ लेखाकार पदस्थापित जिले के कोषाधिकारी से सम्पर्क कर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक।
4. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)